भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3544

(जिसका उत्तर मंगलवार, 27 मार्च, 2018 को दिया गया)

एन.एफ.आर.ए. और आई.सी.ए.आई. की शक्तियां

3544. श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग अथारिटी (एन॰एफ॰आर॰ए॰) किसी सनदी लेखाकर के प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रद्द कर सकती है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई॰सी॰ए॰आई॰) द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर से नाम नहीं हटा सकती है;

(ख) क्या आई॰सी॰ए॰आई॰ को चार्टर्ड अकाउंटेण्ट अधिनियम, 1949 के अधीन एन॰एफ॰आर॰ए॰ के आदेश के अनुसार प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार है; और

(ग) क्या एन॰एफ॰आर॰ए॰ के गठन के बाद सनदी लेखाकारों के विरुद्ध चल रहे अनुशासनात्मक मामले आई॰सी॰ए॰आई॰ द्वारा ही निपटाए जाएंगे?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक लागू प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों/मानकों को तैयार करने की अनुशंसा, निगरानी और ऐसे मानकों की अनुपालना का प्रवर्तन करने, लेखा परीक्षा व्यवसाय की सेवा गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायिक और अन्य कदाचार के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई का आदेश देने संबंधी कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 132 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अनुसार, एनएफआरए को किसी व्यवसायिक या अन्य कदाचार प्रमाणित होने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में संदर्भित सदस्य या फर्म को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में प्रैक्टिस करने से न्यूनतम छह महीने या अधिकतम दस वर्ष, जैसा भी एनएफआरए द्वारा निर्णय लिया गया हो, बहिष्कृत करने का अधिकार है।

अधिनियम की धारा 132 के उपबंधों में एनएफआरए और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की भूमिका और अधिकारों में सामंजस्य और समन्वय बनाए रखने के लिए उचित स्पष्टता और लचीलेपन का प्रावधान है।

*****